सं. 25012/1/2015-स्था.क-IV
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क

....

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 7 सितम्बर 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **दिव्यांगजनों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित प्राप्त हुए अनुरोध - भगवान दास और अन्य बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (2008) 1 एससीसी 579 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के स्पष्टीकरण के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर सरकारी सेवक द्वारा चिकित्सा आधारों पर अथवा दिव्यांगता के कारण दिए वीआरएस नोटिस पर कार्यवाही के संबंध में इस विभाग के दिनांक 19.05.2015 के समसंख्यक का.ज्ञा. का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम) को दिनांक 19 अप्रैल, 2017 से प्रभावी हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.05.2015 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में यथाउल्लिखित पीडब्ल्यू अधिनियम, 1995 की धारा 47 को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 20 के प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 निम्नानुसार प्रावधान करती हैः

"**20.** *(1)* कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांगजन के विरूद्ध विभेद नहीं करेगा, परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जाने वाले कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए यदि कोई हों, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) प्रत्येक स्थापन दिव्यांग कर्मचारियों को युक्तियुक्त आवासन और समुचित अवरोध मुक्त तथा सहायक वातावरण उपलब्ध कराएगा।

(3) केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इंकार नहीं किया जाएगा।

(4) कोई सरकारी स्थापन, किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है, उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा:

परंतु यदि कोई कर्मचारी, दिव्यांगता ग्रहण करने के पश्चात उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे वह धारित करता है तो उसे समान वेतनमान और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो पूर्ववर्ती हो, किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकेगा।

(5) समुचित सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए नीति बना सकेगी।"

4. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के उपर्युक्त प्रावधान और भगवान दास तथा अन्य बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (2008)1 एससीसी 579 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, यह उल्लेख किया जाता है कि कोई सरकारी सेवक चिकित्सा आधार देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगता है अथवा अक्षमता के कारण उक्त वीआरएस नोटिस प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रशासनिक प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या यह मामला आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 20(4) के तहत आता है। यदि मामले में प्रावधान लागू होते हैं, तो सरकारी सेवक को उसी वेतनमान और सेवा लाभों के साथ सेवा जारी रखने के विकल्प की सलाह दी जाएगी। किसी दिव्यांग सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को वापस लेने की स्थिति में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 20 के पूर्वोक्त प्रावधानों के अंतर्गत उसके मामले पर विचार किया जाएगा। तथापि, यदि ऐसी सलाह दिए जाने के बावजूद भी ऐसा सरकारी सेवक अभी भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की इच्छा रखता है, तो उसके अनुरोध पर लागू नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

5. सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे दिव्यांग सरकारी सेवकों से प्राप्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदनों के मामलों पर कार्रवाई करते समय उक्त तथ्यों को ध्यान में रखें।

7.9.20

(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि:

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।